

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 640]

No. 640]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 4, 2012/चैत्र 15, 1934

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 4, 2012/CHAITRA 15, 1934

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2012

का.आ. 731(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के पैरा 3 के अधुसरण में तमिलनाडु राज्य पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् राज्य प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) श्री वी. धंगवेलु<br>16, 7वां क्रॉस स्ट्रीट, इंदिरा नगर,<br>अड्यार, चेन्नई 600020                           | अध्यक्ष ;    |
| (2) श्री वी. हरिदास,<br>73, एस एंड पी, रेजिडेंसी, राजन कुप्पम विलेज,<br>अयनामबक्कम, मदुरावोयल, चेन्नई -600 095 | सदस्य ;      |
| (3) निदेशक, पर्यावरण<br>तमिलनाडु सरकार   | सदस्य-सचिव । |

2. राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

Dslv  
EC-3  
Tm

3. राज्य प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार के परामर्श से तमिलनाडु राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति का गठन करती है (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल्यांकन समिति कहा गया है) जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :--

- |  |           |
|--|-----------|
| (1) प्रो. डा. टी बालासुब्रमण्यम,<br>निदेशक संकायाध्यक्ष,<br>सेंटर ऑफ एडवांस स्टडी इन मरीन बायोलॉजी, अन्नामलाई<br>विश्वविद्यालय | अध्यक्ष ; |
| (2) डा. ए. नवनीता गोपालकृष्णन,<br>निदेशक और आचार्य,<br>सेंटर फार एनवायरमेंटल स्टडी, अन्ना विश्वविद्यालय                        | सदस्य ;   |
| (3) डा. के. एस. कवि कुमार,<br>आचार्य,<br>मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स  | सदस्य ;   |
| (4) डा. कल्पना बालकृष्णन,<br>निदेशक,<br>सेंटर फार एडवांस रिसर्च एनवायरमेंटल हेल्थ, श्री रामचंद्र<br>विश्वविद्यालय, चेन्नई      | सदस्य ;   |
| (5) डा. ए. जी. मुरुगेशन,<br>आचार्य,<br>श्री परमकल्याणी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एनवायरमेंटल<br>साइंसेज, अलवरकुरिची                | सदस्य ;   |
| (6) डा. जे. के. पैटरसन एडवर्ड,<br>वरिष्ठ आचार्य और निदेशक,<br>सुगंती देववासन मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तुतीकोरिन                | सदस्य ;   |
| (7) डा. के. वलिविट्टन,<br>आचार्य और प्रमुख<br>जैव प्रौद्योगिकी विभाग,<br>सेंट पीटर विश्वविद्यालय<br>अवाडी, चेन्नई-600054       | सदस्य ;   |

- (8) डा. इंदुमति एम. नाम्बी, सदस्य ;  
सहायक आचार्य,  
डिवीजन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायर्समेंटल इंजीनियरिंग,  
सिविल इंजीनियरिंग विभाग,  
आई.आई.टी. मद्रास ।
- (9) सदस्य-सचिव सचिव  
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
5. राज्य प्राधिकरण, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय करेगा ।
6. मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।
7. मूल्यांकन समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।
8. मूल्यांकन समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में मतैक्य का प्रयास करेगा और यदि मतैक्य नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।
9. तमिलनाडु राज्य सरकार मूल्यांकन समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सभी वित्तीय और संभारण सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी ।
10. राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता तमिलनाडु राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[ फा. सं. जे-11013/97/2007-आई.ए.-II(I) ]

राजीव गोवा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2012

S.O. 731(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of paragraph 3 of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14<sup>th</sup> September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government hereby constitutes the Tamil Nadu State Environment Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as the State Authority) consisting of the following persons, namely: -

- (1) Shri V.Thangaveju Chairman;  
16, 7<sup>th</sup> Cross Street, Indira Nagar  
Adyar, Chennai 600020.



## THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II - Sec. 3(ii)]

- (2) Shri V. Haridass  
73, S&P Residency, Rajan  
Kuppam Village, Ayanambakkam,  
Maduravoyal, Chennai - 600 095. Member;
- (3) Director of Environment  
Government of Tamil Nadu Member-Secretary.

2. The Chairman and members of the State Authority shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The State Authority shall exercise the powers and follow the procedure specified in the said notification.

4. The Central Government, in consultation with the State Government of Tamil Nadu, hereby constitutes the State Expert Appraisal Committee (hereinafter referred to as the Appraisal Committee) consisting of the following persons, namely :-

- (1) Prof Dr. T. Balasubramanian  
Director and Dean,  
Centre of Advanced Study in  
Marine Biology, Annamalai  
University. Chairman;
- (2) Dr. A. Navaneetha Gopalakrishnan  
Director & Professor, Centre for  
Environmental Studies, Anna  
University. Member;
- (3) Dr. K. S. Kavi Kumar  
Professor, Madras School of  
Economics. Member;
- (4) Dr. Kalpana Balakrishnan  
Director, Centre for Advanced  
Research Environmental Health,  
Sri Ramachandra University,  
Chennai. Member;
- (5) Dr. A.G. Murugesan  
Professor, Sri Paramakalyani  
Centre of Excellence in  
Environmental Sciences,  
Alwarcurichi. Member;
- (6) Dr. J. K. Patterson Edward  
Senior Professor & Director,  
Suganthi Devadason Marine  
Research Institute,  
Tuticorin. Member;

- |     |  |            |
|-----|--|------------|
| (7) | Dr. K. Valivittan<br>Professor and Head<br>Department of Biotechnology,<br>St. Peter's University,<br>Avadi Chennai-600054.  | Member;    |
| (8) | Dr. Indumathi M. Nambi<br>Assistant Professor,<br>Division of Water Resources and<br>Environmental Engineering,<br>Department of Civil Engineering,<br>IIT Madras. | Member;    |
| 9.  | Member-Secretary<br>Tamil Nadu Pollution Control Board   | Secretary; |

The State Authority shall take decisions on the recommendations of the Appraisal Committee.

The Chairman and Members of the Appraisal Committee shall hold office for a term of 3 years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The Appraisal Committee shall exercise the powers and follow the procedures specified in the said notification.

The Appraisal Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if, consensus cannot be reached, the opinion of the majority shall prevail.

The State Government of Tamil Nadu shall notify an agency to function as the secretariat for the State Appraisal Committee and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

The sitting fee, travelling allowance and dearness allowance to the Chairman and Members of the State Authority and the Chairman and Members of Appraisal Committee shall be fixed in accordance with the rules of the State Government of Tamil Nadu.

[F.No. J-11013/97/2007-LA-II(I)]

RAJIV GAUBA, Jt. Secy.

38 GZ/12-2